न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **04/18 (प्रा.पत्र)**

1. श्री मोहनलाल पिता लोगर भील निवासी वडियार तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री नरेन्द्र वीरवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री राजपेरोकार विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 20.04.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के अधिकार अधिपत्य कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि गांव जवानजी का खेडा पटवार सर्कल गादोली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 128/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। उक्त आराजी नम्बर 128/2 पूर्व में आराजी नम्बर 128 रकबा 10 बिस्वा का भाग थी जो सहमति विभाजन से मुझ प्रार्थी के हिस्सें में मेरा 1/2 हिस्सा 128/2 रकबा 5 बिस्वा व बकाया 1/2 हिस्सा आराजी नम्बर 128 मी. रकबा 5 बिस्वा कमला पिता मेघा भील के नाम दर्ज हुई। ताईद में नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की नकल संलग्न हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी नम्बर 128/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि में आने जाने का रास्ता मेरी उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की ओर स्थित आराजी नम्बर 126 जो बिलानाम सरकार है से होकर है और इसी रास्ते से होकर में प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से आने जाने एवं संज बैल मवेशी बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते आ रहे है। इस रास्तें के अलावा हमारे खेतों में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है लेकिन रेकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिए विपक्षी आये दिन अवरोध पैदा करते है जिनकों रास्ता बन्द नहीं करने हेतु पाबंद कराना जरूरी है एवं उक्त आराजी नम्बर 126 में से मेरे खेत में आने जाने के रास्तें को रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकन करवाने का अधिकारी हूं और

उक्त रास्ता भूमि की जो भी नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार राशि बनती है वह जमा कराने को तैयार हैं।

2. ग्राम पंचायत गादोली में भी प्रार्थना पत्र उक्त आराजी नम्बर 126 बिलानाम सरकार में से मुझ प्रार्थी के खेत तक आने जाने व संज बैल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु रास्ता घोषित करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मौके पर उक्त मेरी खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 128/2 में आने जाने का जो रास्ता है जो आराजी नम्बर 126 में स्थित है और स्पष्टतया मौके पर नजर आ रहा है जो करीबन 15–20 फीट चौडा है और इसे रास्ता के रूप में प्रार्थी संदीप से अपने पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं और उक्त रास्ते के अलावा मेरी खातेदारी की जमीन में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं।

3. प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि मै प्रार्थीं आराजी नम्बर 128/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार हूं और सुविधा संतुलन भी मेरे पक्ष में है क्योंकि मैं प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में आने जाने व अपने संज बैल बैलगाडरी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु सदीप से अपने पूर्वजों के समय से करता आ रहा हूं और उक्त मेरी खातेदारी की भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है और उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं होने से विपक्षी कभी भी उक्त रास्ता बन्द कर सकती है इससे जो क्षति मुझे होगी उसका मूल्याकंन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव हैं।

4. प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.01.2018 को वाद कारण उत्पन्न हुआ जब विपक्षी ने उक्त मेरे खातेदारी की भूमि में आने जाने के रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने हेतु विपक्षी सं. 1 से निवेदन किया परन्तु मना कर दिया उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में और विपक्षी के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि प्रार्थी की उक्त आराजी नम्बर 128/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि में आने जाने का रास्ता मेंरी उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की और स्थित आराजी नम्बर 126 जो बिलानाम सरकार है से होकर है और इसी रास्ते से होकर मैं प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से आने जाने एवं संज बैल मवेशी बैलगाडरी, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते आ रहे है। इस रास्ते के अलावा हमारे खेतों में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में चिन्ह ए.बी.सी.डी. शब्दों से बताया गया है जो करीबन 15–20 फीट चौडा है

उसे रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें जिसका पैसा नियमानुसार डी.एल.सी. रेट से प्रार्थी देने को या जमा करवाने को तैयार हैं। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम करने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार रास्ता दिया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

   प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा जवान जी का खेडा में स्थित प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर 128/2 में जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 126 में होकर 26.4 फीट चौडा कच्चा रास्ता बना हुआ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होने का कथन किया हैं।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी आराजी नम्बर 126 में से 15–20 फीट चौडा रास्ता चाहता हैं। जो प्रार्थी के खेत में जानें के लिए सबसे न्यूनतम दूरी का रास्ता होना बताया हैं जो कि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी हैं।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

   तहसीलदार मावली द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्तें के अलावा इससे न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 126 में से 15–20 फीट चौडा रास्ता चाहा गया हैं परन्तु मौके पर वर्तमान में रास्ता 26.4 फीट चौडा रास्ता बना हुआ हैं। जिसका रकबा 2 बिस्वा भूमि प्रस्तावित की गई हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 6,32,592/– अक्षरे छः लाख बत्तीस हजार पांच सौ बरानवें रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 2 बिस्वा की कुल कीमत 63,260 अक्षरे तिरेसठ हजार दौ सौ साठ रूपयें होना बताया हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 128/2 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 126 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में चला आ रहा हैं। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 26.4 फीट चौडाई के रास्ते का रकबा 2 बिस्वा हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षी की जिस आराजीयात मे से होकर रास्ता चाह रहा हैं। वह वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवागमन हेतु बिलानाम भूमि मे से ही नियमानुसार रास्ता कायम कराना आवश्यक हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। जिसके तहत् प्रार्थी से कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर लिया जाकर रास्ता दिया जाने का प्रावधान हैं। उक्त आराजीयात वर्तमान में बिलानाम सरकार होकर न्यूनतम दूरी वाला 2 बिस्वा का रास्ता तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित किया गया अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : <u>आदेश</u> : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जवानजी का

खेडा पटवार हल्का गादोली की आराजी नम्बर 128/2 भूमि में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 126 में से 2 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 26.4 फीट चौडाई का रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डी.एल.सी. दर 6,32,592/– रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रकबा 2 बिस्वा की कुल कीमत 63,260/– का दुगुना 1,26,520/– अक्षरें एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ बीस रूपयें प्रार्थी से प्रतिकर के रूप में वसूल कर जरिये चालान राजकोष में क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। राजकोष में उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली